

2019/000 27



फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

मीरा बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 225 आरटीए

नम्बर.....03/2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22.01.19	<p>अभिभाषक अपीलांट श्री दिनेश गहलोत पस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो तांबे मियांद पंजीबद्ध हो। विद्वान अभिभाषक अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।</p> <p>विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि गत् सेटलमेंट में पुराना खसरा नम्बर 370 रकबा 22 बीघा 19 बिस्वा भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है जिसमें कोई कटाणी रास्ता नक्शों में अंकित नहीं है। जिसके नये खसरा नम्बर 1078 रकबा 5.80 हेक्टर पैमूद हुए है। उक्त भूमि पर अवैध रूप से नये रास्ते का अंकन डोटेड लाईन से नक्शों में अंकित कर दिया गया है। जिसका कतई अधिकार अदालत मातहत को प्राप्त नहीं था। अदालत मातहत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर कोई विवेचन अंकित नहीं किया गया है। केवल मात्र सरसरी तौर पर अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।</p> <p>उन्होंने आगे बताया कि वादगत् भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है। अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है। दौराने अपील यदि अपीलांट की खातेदारी भूमि से रास्ता कायम कर दिया गया तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी तथा अपील का मकसद ही समाप्त हो जायेगा।</p> <p>विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा एकतरफा तौर पर ही बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये आदेश जैर अपील पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के</p>	



राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश प्रदान किये जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 22-01-2019 को अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

इस संबंध में पत्रावली के साथ संलग्न आदेशिकाओं का अवलोकन किया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधन आदेश दिनांक 22-01-2019 को पारित किया गया है। उक्त आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण तथ्य प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के संबंध में अपनी कोई विवेचना अंकित नहीं करते हुए मात्र सरसरी तौर पर बिना माईन्ड एप्लाई किये आदेश जैर अपील पारित किया जाना परिलक्षित होता है।

वादगत् भूमि अपीलांट की खातेदारी की भूमि है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर कोई विवेचन किये बिना व प्रकरण की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलांट का स्थगन प्रार्थना व अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वे अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु पर विवेचना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें तब तक वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे। चूंकि पत्रावली में आगामी दिनांक 06-03-2019 नियत है अतः अपीलांट को जरिये अभिभाषक निर्देशित किया जाता है कि वे अदालत मातहत के समक्ष नियत दिनांक को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफतर हो।

(डॉ० सुकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

